



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12072022-237265
CG-DL-E-12072022-237265

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 496]
No. 496]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2022/आषाढ़ 21, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2022/ASHADHA 21, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2022

सं. 13/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 534 (अ).—वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 की उप धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 28/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 13 मई, 2002, जिसे सा.का.नि. 361 (अ), दिनांक 13 मई, 2002 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 4ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)
“4ग.	12% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जो कि मिश्रण हो, - (क) आयतन के हिसाब से 88% मोटर स्प्रीट(सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), जिस पर यथोचित उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो, और 12% एथेनॉल	शून्य

	जिस पर यथोचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर या एकीकृत कर, जो भी स्थिति हो, का भुगतान कर दिया गया हो, और (ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश 17586 को पूरा करता हो। <i>स्पष्टीकरण.-</i> (क) यथोचित उत्पाद शुल्क से अभिप्राय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अंतर्गत लगाए जाने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अंतर्गत लगाए जाने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15), क्योंकि अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अंतर्गत इस वित्त विधेयक की घोषणा किए जाने के कारण इसको भी कानून की शक्ति प्राप्त है, के उपवाक्य 116 के अंतर्गत लगाए जाने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर), फिलहाल लागू की गई संगत छूट अधिसूचनाओं के साथ पठित, से है; (ख) यथोचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर और एकीकृत कर से अभिप्राय उन केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर और एकीकृत कर से है जिन्हें क्रमशः केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबंधित राज्यों के राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अंतर्गत लगाया जाता हो।	
4घ	15% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जो कि मिश्रण हो, - (क) आयतन के हिसाब से 85% मोटर स्प्रीट (सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), जिस पर यथोचित उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो, और 15% एथेनॉल जिस पर यथोचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर या एकीकृत कर, जो भी स्थिति हो, का भुगतान कर दिया गया हो, और (ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश 17586 को पूरा करता हो। <i>स्पष्टीकरण.-</i> (क) यथोचित उत्पाद शुल्क से अभिप्राय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अंतर्गत लगाए जाने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अंतर्गत लगाए जाने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15), क्योंकि अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अंतर्गत इस वित्त विधेयक की घोषणा किए जाने के कारण इसको भी कानून की शक्ति प्राप्त है, के उपवाक्य 116 के अंतर्गत लगाए जाने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर), फिलहाल लागू की गई संगत छूट अधिसूचनाओं के साथ पठित, से है; (ख) यथोचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर और एकीकृत कर से अभिप्राय उन केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर और एकीकृत कर से है जिन्हें क्रमशः केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबंधित राज्यों के राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अंतर्गत लगाया जाता हो।	शून्य

- (ii) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में “वनस्पति तेलो से अभिप्राय वसीय अम्लों की दीर्घ शृंखला के एल्किल एस्ट्रो के साथ सम्मिश्रित उच्च गति डीजल तेल, जो सामान्य रूप से जैविक डीजल के रूप में ज्ञात है” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “एकीकृत कर का संदाय किया गया हो”, शब्दों से समाप्त होने वाले हिस्से के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“आयतन के हिसाब से 20% तक के बायो डीजल के मिश्रण वाले हाई स्पीड डीजल ऑयल, जो कि मिश्रण हों 80% या इससे अधिक के हाई स्पीड डीजल, जिस पर यथोचित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो और 20% तक बायो डीजल, जिस पर यथोचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर या एकीकृत कर, जो भी स्थिति हो का भुगतान कर दिया गया हो”;

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/295/2021-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवसर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 28/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 13 मई, 2002, को सा.का.नि. 361 (अ), दिनांक 13 मई, 2002 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2021, सा.का.नि. 252 (अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2022

No. 13/2022-Central Excise

G.S.R. 534(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 28/2002-Central Excise, dated the 13th May, 2002, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 361(E), dated the 13th May, 2002, namely:-

In the said notification, in the Table,-

- (i) after S. No. 4B and the entries relating thereto, the following S. Nos and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“4C.	12% ethanol blended petrol that is a blend, - (a) consisting, by volume, of 88% motor spirit (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and, of 12% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (b) conforming to the Bureau of Indian Standards specification 17586. <i>Explanation .-</i> (i) Appropriate duties of excise shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the additional duty of excise (Road and Infrastructure Cess) leviable under section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), read with any relevant exemption notification for the time being in force. (ii) Appropriate Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax shall mean the Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax as leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Goods	Nil

	and Services Tax Act of the State concerned, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017(14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017(13 of 2017).	
4D.	15% ethanol blended petrol that is a blend, - (a) consisting, by volume, of 85% motor spirit (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and, of 15% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case may be, have been paid; and (b) conforming to Bureau of Indian Standards specification 17586. <i>Explanation .-</i> (i) Appropriate duties of excise shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the additional duty of excise (Road and Infrastructure Cess) leviable under section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), read with any relevant exemption notification for the time being in force. (ii) Appropriate Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax shall mean the central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax as leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Goods and Services Tax Act of the State concerned, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017(14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017(13 of 2017):	Nil”.

- (ii) against Sl. No. 5, in column (2), for the portion beginning with the words “High speed diesel oil blended with alkyl esters of long chain fatty acids obtained from vegetable oils” and ending with the words “integrated tax, as the case maybe, have been paid”, the following shall be substituted, namely: -

“High speed diesel oil blended with bio -diesel, up to 20% by volume, that is, a blend, consisting 80% or more of high speed diesel oil, on which the appropriate duties of excise have been paid and, up to 20% bio - diesel on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case maybe, have been paid.”.

[F. No. CBIC-190354/295/2021-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 28/2002-Central Excise, dated the 13th May, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 361(E), dated the 13th May, 2002 and last amended by notification No. 08/2021-Central Excise, dated the 8th April, 2021 vide number G.S.R. 252(E), dated the 8th April, 2021.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2022

सं. 14/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 535(अ).—वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उत्पाद शुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 5क की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, उत्पाद शुल्क वाली वस्तुओं जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिया गया है और वे उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी

अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, को उन पर वित्त अधिनियम, 2018 की धारा 112 के अंतर्गत लगाए जाने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सड़क एवं अवसंरचना उपकर) के उस भाग से पूर्णरूपेण छूट देती है जितना कि वह उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से परिगणित राशि से अधिक होता हो।

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710 12 43	12% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जो कि मिश्रण हो, - (क) आयतन के हिसाब से 88% मोटर स्प्रीट(सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), जिस पर यथोचित उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो, और 12% एथेनॉल जिस पर यथोचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर या एकीकृत कर, जो भी स्थिति हो, का भुगतान कर दिया गया हो, और (ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश 17586 को पूरा करता हो।	शून्य
2.	2710 12 44	15% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जो कि मिश्रण हो, - (क) आयतन के हिसाब से 85% मोटर स्प्रीट (सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), जिस पर यथोचित उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो, और 15% एथेनॉल जिस पर यथोचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर या एकीकृत कर, जो भी स्थिति हो, का भुगतान कर दिया गया हो, और (ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश 17586 को पूरा करता हो।	शून्य।

स्पष्टीकरण –

(i) यथोचित उत्पाद शुल्क से अभिप्राय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के अंतर्गत लगाए जाने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अंतर्गत लगाए जाने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के अंतर्गत लगाए जाने वाले अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (कृषि एवं अवसंरचना विकास उपकर) फिलहाल लागू की गई संगत छूट अधिसूचनाओं के साथ पठित, से है;

(ii) यथोचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर और एकीकृत कर से अभिप्राय उन केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर और एकीकृत कर से है जिन्हें क्रमशः केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), संबंधित राज्यों के राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) और एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) के अंतर्गत लगाया जाता हो।

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/295/2021-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2022

No. 14/2022-Central Excise

G.S.R. 535(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred to as the Excise Act), read with section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the excisable goods of the description specified in column (3) of the following Table and falling within the tariff item of the Fourth Schedule to the Excise Act, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from the whole of the additional duty of excise (Road and Infrastructure Cess) leviable thereon under the said section 112 of the Finance Act, 2018, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl. No.	Tariff item	Description of goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710 12 43	12% ethanol blended petrol that is a blend, - (a) consisting, by volume, of 88% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 12% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or integrated tax, as the case maybe, have been paid; and (b) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 17586.	Nil
2.	2710 12 44	15% ethanol blended petrol that is a blend, - (a) consisting, by volume, of 85% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 15% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or integrated tax, as the case maybe, have been paid; and (b) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 17586.	Nil.

Explanation. -

(i) Appropriate duties of excise shall mean the duties of excise as leviable under the Fourth Schedule to the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the additional duty of excise (Road and Infrastructure Cess) leviable under section 112 of the Finance Act, 2018 (13 of 2018), the special additional excise duty leviable under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002) and the additional duty of excise (Agriculture Infrastructure and Development Cess) leviable under section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), read with any relevant exemption notification for the time being in force.

(ii) Appropriate Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax shall mean the Central tax, State tax, Union territory tax and Integrated tax as leviable under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the State Goods and Services Tax Act of the State concerned, the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017(14 of 2017) and the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017(13 of 2017).

[F. No. CBIC-190354/295/2021-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2022

सं. 15/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 536(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 125 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 5क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 03/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 85 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)
“3क.	2710 12 43	12% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जो कि मिश्रण हो, - (क) आयतन के हिसाब से 88% मोटर स्पिरिट(सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), जिस पर यथोचित उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो, और 12% एथेनॉल जिस पर यथोचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर या एकीकृत कर, जो भी स्थिति हो, का भुगतान कर दिया गया हो, और (ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विशिष्टीकरण IS 17586 को पूरा करता हो।	शून्य
3ख	2710 12 44	15% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल जो कि मिश्रण हो, - (क) आयतन के हिसाब से 85% मोटर स्पिरिट(सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है), जिस पर यथोचित उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो, और 15% एथेनॉल जिस पर यथोचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर या एकीकृत कर, जो भी स्थिति हो, का भुगतान कर दिया गया हो, और (ख) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विशिष्टीकरण IS 17586 को पूरा करता हो।	शून्य”;

(ii) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में “वनस्पति तेलो से अभिप्रस वसीय अम्लों की दीर्घ श्रृंखला के एल्किल एस्ट्रो के साथ सम्मिश्रित उच्च गति डीजल तेल, जो सामान्य रूप से जैविक डीजल के रूप में ज्ञात है” शब्दों से प्रारंभ होने वाले और “एकीकृत कर का संदाय किया गया हो”, शब्दों से समाप्त होने वाले हिस्से के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -

“आयतन के हिसाब से 20% तक के बायो डीजल के मिश्रण वाले हाई स्पीड डीजल ऑयल, जो कि मिश्रण हों 80% या इससे अधिक के हाई स्पीड डीजल, जिस पर यथोचित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान कर दिया गया हो और 20% तक बायो डीजल, जिस पर यथोचित केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य कर या एकीकृत कर, जो भी स्थिति हो का भुगतान कर दिया गया हो”;

[फा. सं. सीबीआईसी -190354/295/2021-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 03/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, को सा.का.नि. 85 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2021-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2021, सा.का.नि. 252 (अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2021 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2022

No. 15/2022-Central Excise

G.S.R. 536(E).— In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 125 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 03/2021-Central Excise, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 85(E), dated the 1st February, 2021, namely:-

1. In the said notification, in the Table,-

(i) after S. No. 3 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
“3A.	2710 12 43	12% ethanol blended petrol that is a blend, - (a) consisting, by volume, of 88% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 12% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case maybe, have been paid; and (b) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 17586.	Nil
3B	2710 12 44	15% ethanol blended petrol that is a blend, - (a) consisting, by volume, of 85% motor spirit, (commonly known as petrol), on which the appropriate duties of excise have been paid and of 15% ethanol on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case maybe, have been paid; and (b) conforming to the Bureau of Indian Standards specification IS 17586.	Nil”;

(ii) against Sl. No. 5, in column (2), for the portion beginning with the words “High speed diesel oil blended with alkyl esters of long chain fatty acids obtained from vegetable oils” and ending with the words “Integrated tax, as the case maybe, have been paid”, the following shall be substituted, namely: -

“High speed diesel oil blended with bio -diesel, up to 20% by volume, that is, a blend, consisting 80% or more of high speed diesel oil, on which the appropriate duties of excise have been paid and, up to 20% bio -diesel on which the appropriate Central tax, State tax, Union territory tax or Integrated tax, as the case maybe, have been paid.”

[F. No. CBIC-190354/295/2021-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 03/2021-Central Excise, dated the 1st February, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 85(E), dated the 1st February, 2021 and last amended *vide* notification No.08/2021-Central Excise dated the 8th April, 2021, *vide* number G.S.R. 252 (E), dated the 8th April, 2021.